

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
**पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.**

पत्रावली संख्या : 158/2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002  
भारतीय स्टेट बैंक जरिये प्राधिकृत अधिकारी गौरव सिंह  
स्थानीय प्रधान कार्यालय:- प्रथम तल, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर (राज.)  
शाखा कार्यालय:- राणोली, सीकर (राज.)

—प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. दिलीप कुमार फोगावट पुत्र हरलाल सिंह फोगावट फोगावटों की ढाणी, पो. पलासरा, जिला-सीकर (राज.) 332405
2. मूलचन्द पुत्र रघुनाथ जाट, ग्राम हरिपुरा, पोस्ट- पलासरा, जिला सीकर (राज.) 332405

— अप्रार्थीगण

(ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

**स्वीकृति आदेश**

दिनांक: 11 अगस्त, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री गिरधारी लाल लोमरोड द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः दिलीप कुमार फोगावट पुत्र हरलाल सिंह फोगावट एवं मूलचन्द पुत्र रघुनाथ जाट की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी दिलीप कुमार फोगावट के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 03, फोगावटों की ढाणी, वार्ड नं. 07, हरिपुरा, तहसील दांतामरामगढ़, जिला सीकर (राज.) में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 174.41 वर्गगज है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में

५

(मुकुल शर्मा)


जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



गोविन्द राम की जमीन, पश्चिम दिशा में रास्ता व जीवन राम का बाड़ा, उत्तर दिशा में शीशराम की जमीन एवं दक्षिण दिशा में राजकुमार की जमीन स्थित है। उक्त सम्पत्ति को बंधक रखकर **कुल ₹3,95,000/- रूपये (अक्षरे रूपये तीन लाख पचानवे हजार)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **06.01.2025** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आये परन्तु बकाया ऋण भुगतान से संबंधित कोई दस्तावेज पेश नहीं किये है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **06.01.2025** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 एवं 2 क्रमशः **दिलीप कुमार फोगावट पुत्र हरलाल सिंह फोगावट** एवं **मूलचन्द पुत्र रघुनाथ जाट** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत



  
**(मुकुल शर्मा)**  
**जिला मजिस्ट्रेट, सीकर**

प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **दिलीप कुमार फोगावट** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 03, फोगावटों की ढाणी, वार्ड नं. 07, हरिपुरा, तहसील दांतामरामगढ़, जिला सीकर (राज.)** में स्थित है जिसमें भूमि, भवन, ढांचा आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग हैं। जिसका **कुल क्षेत्रफल 174. 41 वर्गगज** है। जिसकी चतुर्दिशाएं इस प्रकार हैं— पूरब दिशा में गोविन्द राम की जमीन, पश्चिम दिशा में रास्ता व जीवण राम का बाड़ा, उत्तर दिशा में शीशराम की जमीन एवं दक्षिण दिशा में राजकुमार की जमीन स्थित है। उक्त बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **11 अगस्त, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(मकल शर्मा)  
**(मकल शर्मा)**  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर  
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर